सं0 c 3 स.का.कि./ 2009

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड ।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल,
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,उत्तराखण्ड

कार्यक्रम कियान्वयन विभाग

देहरादून जनवरी 23 2009

विषयः— **हमारा संकल्प " भयमुक्त समाज "**

महोदय,

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण एवं कानून तथा व्यवस्था को सुदृढ बनाये जाने को अपनी प्राथमिकताओं में चिन्हांकित किया है तथा अपेक्षा की है कि प्रदेश में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करते हुए भयमुक्त समाज की स्थापना की जाय । प्रदेश में भयमुक्त समाज की स्थापना हेतु निम्नांकित दिशा निर्देश निर्धारित किये गये हैं :—

1. अपराधियों को चिन्हांकित कर उनकी गतिविधियों पर सर्तक निगाह रखी जाय ।
2. विभिन्न थानों में लम्बित अपराध अनुसंधान के प्रकरणों को निस्तारित किये जाने की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर की जाय ।
3. विवेचना /अनुसंधान में शिथिलता एवं अनावश्यक विलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय ।
4. यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक दशा में पीड़ित व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाय । प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज करने में विलम्ब करने अथवा कोताही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को

दण्डित किया जाय तथा इस प्रकार की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय ।

5. अपराध अनुसंधान करने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों के द्वारा वर्ष भर में किये गये अनुसंधानों का मूल्यांकन किया जाय तथा यह देखा जाय कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किये गये अनुसंधान में कितने मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई है एवं कितने मामलों में आरोपपत्र प्रेषित किये गये हैं ।
6. यदि किसी विवेचनाधिकारी के दृष्टान्त में अंतिम रिपोर्ट लगाये जाने के प्रसंगों का प्रतिशत अधिक पाया जाता है तो सम्बन्धित विवेचनाधिकारी द्वारा विगत पांच वर्षो में की गई विवेचनाओं का चार्ट तैयार कर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की क्षमता का मूल्यांकन किया जाय ।
7. न्यायालय में लम्बित मुकदमों में समयान्तर्गत साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण करवाई जाय एवं साक्षियों को सुरक्षा /संरक्षण प्रदान किया जाय
8. विभिन्न अपराधों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को परीक्षण हेतु भेजे गये माल मुकदमाती की स्थिति की समीक्षा की जाय तथा इन मामलों का निस्तारण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाय । यदि किसी स्तर पर कठिनाई अथवा अनावश्यक विलम्ब का प्रकरण प्रकाश में आ रहा हो तो ऐसे प्रकरणों को प्रमुख सचिव गृह/मुख्य राजस्व आयुक्त/ पुलिस महानिदेशक के संज्ञान में लाया जाय ।
9. जनपदों में स्थित मालखानों में लम्बित माल मुकदमाती की मासिक समीक्षा की जाय । मालखानों में भारी संख्या में पड़ी हुई अवैध शराब के निस्तारण के लिये सक्षम न्यायालयों से अनुरोध करते हुए उसके निस्तारण की कार्यवाही करवा ली जाय ।
10. विभिन्न थानों को उपलब्ध करवाये गये असलाहों एवं कारतूसों का वार्षिक सत्यापन करवाया जाय तथा पुलिस कर्मियों को समय-समय पर फायरिंग प्रशिक्षण दिया जाय जिससे कि वे आकस्मिकता की स्थिति में कारगर सिद्ध हो सकें ।
11. अभिसूचना तंत्र को मजबूत बनाया जाय तथा राजस्व पुलिस क्षेत्रों एवं नियमित पुलिस क्षेत्रों के सम्बन्ध में मासिक अभिसूचना रिपोर्ट को तैयार करवाते हुए इनको एक दूसरे को उपलब्ध करवाया जाय । अभिसूचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूचनाओं के संज्ञान में आने पर त्वरित एवं प्रभावशाली कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

12. जनपद स्तर पर अपराधियों का एक डाटा बेस तैयार किया जाय जिसमें थाना /पटवारी क्षेत्र का नाम,अपराध संख्या, अपराध का दिनांक, अपराधी का नाम, पता, अपराध की धारा, विवेचना का परिणाम, न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अंकन किया जाय उचित होगा कि राजस्व एवं नागरिक पुलिस क्षेत्रों के लिये समान प्रारूप में इसे तैयार करवाया जाय ।

13. विभिन्न न्यायालयों द्वारा दोष सिद्धि एवं दोष मुक्ति सम्बन्धी पारित आदेशों का अंकन अपराध पंजिका में करते हुए सभी थाना/राजस्व पुलिस क्षेत्रों की अपराध पंजिकाओं को 28 फरवरी तक अध्यावधिक किया जाय । उक्त अवधि में बाद यदि किसी भी पुलिस क्षेत्र में अपराध पंजिका अध्यावधिक नहीं पाई जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभारी को उत्तरदायी माना जायेगा।

14. यदि किसी क्षेत्र का अपराधी किसी अन्य क्षेत्र में निवास करने लगा हो तो उसकी सूचना सम्बन्धित थाने अथवा राजस्व पुलिस क्षेत्र को भी उपलब्ध करवाई जाय ।

15. प्रदेश के सभी जनपदों में जारी किये गये शस्त्र अनुज्ञापियों का डाटा बेस तैयार कर उसे नैट में डाला जाय ।

16. प्रदेश में विभिन्न संभागीय परिवहन अधिकारियों के स्तर से निर्गत किये गये ड्राइविंग लाइसेंन्सों का डाटा बेस तैयार कर उसे नैट में अपलोड किया जाय ।

17. वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाय । प्रदेश में मोटर व्हैकिल चालान मौनीटरिंग सिस्टम का सोफ्ट वेयर तैयार किये जाने की आवश्यकता है ताकि यातायात के नियमों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को चिन्हांकित करते हुए उन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके । उपरोक्त सौफ्ट वेयर को निदेशक, प्रदेश सूचना विज्ञान केन्द्र के स्तर से आगामी एक पक्ष के अन्दर तैयार करवाते हुए उसे प्रमुख सचिव,गृह, पुलिस महानिदेशक, मण्डलायुक्त एवं समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को उपलब्ध करवाया जायेगा ।

18. जनपद स्तर पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा प्रत्येक माह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेटों के द्वारा की जायेगी ।

आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संलग्न प्रपत्रों के अनुसार सूचना सचिव, कार्यक्रम कियान्वयन विभाग को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

संलग्नः— यथोक्त

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. प्रमुख सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन ।
2. सचिव परिवहन
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ।
4. निदेशक,राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र

आज्ञा से

23-1-07

(प्रभात कुमार सारंगी)
सचिव

जनपद में (नागरिक / राजस्व पुलिस क्षेत्र) विगत तीन वर्षो के तुलनात्मक अपराध आकड़ों का विवरण :–

क. स.	अपराध शीर्षक	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
1	हत्या			
2	दहेज हत्या			
3	डकैती			
4	बलवा			
5	बलात्कार			
7 6	फिरौती हेतु अपहरण			
8 7	रोड होल्ड अप			
9	लूट			
10	भा0द0 वि0. के अन्तर्गत अन्य अपराध			
11	कुल योग			

जनपद का नाम–

नागरिक / राजस्व पुलिस से सम्बन्धित तीन वर्षीय अपराध आंकडो का विवरण माह–जनवरी –2007–2009

क्र0 सं0	अपराध शीर्षक	वर्ष – 2009											वर्ष – 2009											वर्ष – 2009										
		रिपोर्ट	अदम तफ0	तफतीश	खारिज	बाकी	चालान	सजा	रिहा	जेर तफतीश	जेर तफतीश	लापता	रिपोर्ट	अदम तफ0	तफतीष	खारिज	बाकी	चालान	सजा	रिहा	जेर तजवीज	जेर तफतीश	लापता	रिपोर्ट	अदम तफ0	तफतीष	खारिज	बाकी	चालान	सजा	रिहा	जेर तजवीज	जेर तफतीश	लापता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	डकैती																																	
2	रोड होल्ड अप																																	
3	399/402																																	
4	लूट																																	
5	हत्या																																	
6	बलवा																																	
7	गृह भेदन																																	
8	वाहन चोरी																																	
9	शस्त्र चोरी																																	
10	साइकिल चोरी																																	
11	पशु चोरी																																	
12	तार चोरी																																	
13	अन्य चोरी																																	

14	[illegible]
15	377
16	[illegible]
17	[illegible]
18	[illegible]
	[illegible]

जनपद में (राजस्व/नागरिक पुलिस) लम्बित विवेचनाओं का विवरण

क.स.	अपराध शीर्षक	मासान्त तक जनपद में लम्बित विवेचनाधीन अभियोगों की कुल संख्या	आलोच्य माह में विवेचनाधीन अभियोगों की संख्या	माह में निस्तारित अभियोगों की संख्या	माह के अन्त तक शेष रहे विवेचनाधीन अभियोगों की संख्या	3 माह से अधिक अवधि से लम्बित विवेचनाधीन अभियोग	6 माह से अधिक अवधि से लम्बित विवेचनाधीन अभियोग	9माह से अधिक अवधि से लम्बित विवेचनाधीन अभियोग	एक वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित विवेचनाधीन अभियोग	अनुसंधान में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	हत्या									
2	दहेज हत्या									
3	बलात्कार									
4	डकैती									
5	लूट									
6	वाहन लूट									
7	बलवा									

8	रोड होल्ड अप									
9	फ़िरोती हेतु अपहरण									
10	गृह भेदन									
11	अन्य गा. द.वि									
12	योग									